अध्याय - VI

रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड (आर जे आई एल) द्वारा साझा किया गया राजस्व

6.1 प्रस्तावना

रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड, (आर जे आई एल) रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की एक सहायक कम्पनी (आर आई एल), को 15 फरवरी 2007 को प्रारम्भ में इन्फोटेल ब्रॉडबैंड सर्विस प्राइवेट लिमिटेड (आई बी एस पी एल) के रूप में निगमित किया गया था। जुलाई 2010 में, कम्पनी ने अपना नाम बदल कर इन्फोटेल ब्रॉडबैंड सर्विसेज लिमिटेड (आई बी एस एल) किया एवं पुनः (जनवरी 2013) में रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड (आर जे आई एल) कर दिया। आर जे आई एल के पूर्ण स्वामित्व में दो कंपनियां थीं, जो कि इन्फोटेल टेलीकॉम, सर्विस लिमिटेड और रैनकोर टैक्नोलोजीस प्राईवेट लिमिटेड थी। बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा अनुमोदित समामेलन योजना के अनुसार अप्रैल 2013 में दोनों सहायक कम्पनियों को आर जे आई एल के साथ समामेलित किया गया था। वर्तमान में, आर जे आई एल के पास चार[1] सहायक है।

6.1.1 आर जे आई एल को लाइसेंस दिये गये

दू वि द्वारा आर जे आई एल (पूर्व में आइ बी एस एल) को दिये गये लाइसेंसों का विवरण निम्नलिखित है:-

तालिका 6.1

क्र. सं.	लाइसेंस का प्रकार	सेवा क्षेत्र	प्रभावी तारीख	टिप्पणियां
1	आई एस पी-आई टी	पैन इण्डिया	15 नवम्बर 2007	आई बी एस पी एल द्वारा लाइसेंस प्राप्त किये गये। आर जे आई एल द्वारा यूनिफाइड लाइसेंस 21 अक्टूबर 2013 से लाइसेंस में स्थानांतरित होने बाद लाइसेंस रद्द किए गए।
2	आई पी-1 पंजीकरण	पैन इण्डिया	23 जून 2011	आई बी एस एल द्वारा लाइसेंस प्राप्त किए गए।
3	एन एल डी	पैन इण्डिया	14 फरवरी 2012	आर जे आई एल की सहायक, इन्फोटेल टेलीकॉम लिमिटेड द्वारा लाइसेंस प्राप्त किए गए। आर जे आई एल में सम्मिलित होने के बाद, लाइसेंस रद्द किए गये।
4	आई एल डी			
5	यूनिफाइड लाइसेंस	पैन इण्डिया	21 अक्टूबर 2013	जी एम पी सी एस[2] को छोड़कर सभी सेवाऐं।

[1] रिलायंस जियो इन्फोकॉम पी टी ई लिमिटेड, रिलायंस जियो इन्फोकॉम यू एस ए इंक, रिलायंस जियो इन्फोकॉम यू के लिमिटेड एवं रिलायंस जियो ग्लोबल रिसोर्स एल एल सी।

[2] सैटेलाइट द्वारा ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्यूनिकेशन।

6.1.2 आर जे आई एल को आबंटित स्पैक्ट्रम

मार्च 2015 तक आर जे आई एल (पूर्व में आई बी एस एल) को आबंटित स्पैक्ट्रम के विवरण निम्नलिखित हैं:

तालिका 6.2

क्र. सं.	लाइसेंस सेवा क्षेत्र	मुख्य रेडियो स्पैक्ट्रम (मेगा–हर्ट्ज)	ब्रॉडबैंड वायरलैस एक्सेस स्पैक्ट्रम (बी डब्ल्यू ए) (मेगाहर्ट्ज)	एम डब्ल्यू एक्सेस स्पैक्ट्रम (मेगाहर्ट्ज)[3]
1	आन्ध्र प्रदेश	11.60	20	224
2	असम	10.80	20	168
3	बिहार	-	20	168
4	दिल्ली	10.80	20	224
5	गुजरात	12.00	20	224
6	हरियाणा	-	20	168
7	हिमाचल प्रदेश	-	20	168
8	जम्मू एवं कश्मीर	-	20	168
9	कर्नाटक	10.00	20	224
10	केरल	10.00	20	168
11	कोलकाता	10.00	20	224
12	मध्यप्रदेश	12.80	20	168
13	महाराष्ट्र	10.00	20	224
14	मुम्बई	13.20	20	224
15	उत्तर पूर्व	12.80	20	168
16	उड़ीसा	10.00	20	168
17	पंजाब	-	20	168
18	राजस्थान	-	20	168
19	तमिलनाडु (चैन्नई सहित)	12.40	20	224
20	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	-	20	168
21	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	-	20	168
22	पश्चिम बंगाल	11.20	20	168

[3] एक कैरियर=56 मेगाहर्ट्ज

6.1.3 आर जे आई एल द्वारा सूचित राजस्व तथा राजस्व हिस्सेदारी का भुगतान

वर्ष 2012-13 से 2014-15 के दौरान, आई एस पी, एन एल डी तथा एक्सेस सेवाओं के लिए आर जे आई एल का जी आर, कटौतियां और ए जी आर का विवरण निम्नलिखित है।

तालिका 6.3

(₹ करोड़ में)

वर्ष	जी आर	कटौती	ए जी आर	ए जी आर से जी आर की प्रतिशतता	राजस्व हिस्सेदारी (एल एफ + एस यू सी)
2012-13	0.37	0.05	0.32	85.61	0.02*
2013-14	3.07	0.02	3.04	99.23	0.24*
2014-15	8.79	0.01	8.78	99.85	16.86

* चूंकि वर्ष 2014 में कम्पनी को एक्सेस स्पैक्ट्रम प्राप्त हुआ था इसमें केवल लाइसेंस फीस शामिल है।

वर्ष 2012-15 के दौरान आर जे आई एल ने एक्सेस सेवाओं से संबंधित अपनी वाणिज्यिक सेवायें शुरू नहीं की थी और इसलिए कोई भी अभिदाता नहीं था।

6.2 लेखापरीक्षा टिप्पणियां

6.2.1 एल एफ व एस यू सी के भुगतान हेतु जी आर/ए जी आर में विदेशी मुद्रा लाभ पर विचार नहीं किया जाना

वर्ष 2012-13 से 2014-15 के लिए आर जे आई एल द्वारा प्रस्तुत वार्षिक वित्तीय विवरणों और राजस्व मिलान विवरणों के साथ–साथ ए जी आर विवरणों से पता चलता है कि ₹ 63.77 करोड़ की वसूली गई विदेशी मुद्रा लाभ (2012-13 – ₹ 1.29 करोड़, 2013-14 – ₹ 41.67 करोड़ और 2014-15 – ₹ 20.81 करोड़) को राजस्व हिस्सेदारी के उद्देश्य के लिए ए जी आर में शामिल नहीं किया गया जिसके कारण लाइसेंस फीस का कम भुगतान हुआ।

प्रबन्धन ने बताया कि दूरसंचार विभाग ने विदेशी मुद्रा लाभ (वसूला गया तथा बिना वसूला गया दोनों) पर लाइसेंस फीस के भुगतान के लिये मांग भी की थी। आगे यह भी बताया गया कि कम्पनी ने टी डी सैट के समक्ष डिमांड नोटिस को चुनौती देने के लिए एक याचिका दायर की थी दी तथा टी डी सैट ने अपने आदेश में (दिसम्बर 2015) विदेशी मुद्रा के उतार–चढ़ाव से उत्पन्न लाभ के कारण अतिरिक्त लाइसेंस फीस के भुगतान के लिये वाद–विवाद वाली मांग को रद्द कर दिया था।

प्रबंधन का उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि:

- लेखापरीक्षा ने केवल वसूले गये लाभ पर विचार किया है;
- लाइसेंस अनुबंध की शर्तों के अनुसार, किसी अन्य विविध राजस्व को जी आर में सम्मिलित किया जायेगा तथा लेखापरीक्षा का मत है कि पी एस पी के किसी आकस्मिक लाभ पर विचार जी आर हेतु किया जाना चाहिये क्योंकि पी एवं एल खाते में फोरेक्स लाभ की गणना आय के रूप में की गई है;
- यद्यपि मामला न्यायाधीन है, लेखापरीक्षा का मत है कि लाइसेंस अनुबंध की शर्तों में विदेशी मुद्रा के उतार–चढ़ाव से उद्भूत वसूले गये लाभ को राजस्व हिस्सेदारी की गणना के लिये जी आर/ए जी आर में शामिल किया जाना चाहिये।

इस प्रकार, जी आर/ए जी आर में फोरेक्स लाभ को शामिल न करना लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन था तथा परिणामस्वरूप ए जी आर में ₹ 63.77 करोड़ का कम अंकन हुआ तथा साथ ही एल एफ में भी ₹ 5.10 करोड़ का कम अंकन हुआ **(अनुलग्नक-6.01)**।

6.2.2 एल एफ व एस यू सी के अल्प भुगतान करने/भुगतान न करने पर ब्याज

लाइसेंस शर्तों में व्यवस्था है कि कथित वित्तीय वर्ष से सम्बन्धित लाइसेंस फीस के भुगतान में विलम्ब के सम्बन्ध में, वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में स्टेट बैंक आफ इंडिया की विद्यमान मूल उधार दर से 2 प्रतिशत की दर पर ब्याज उगाहा जाये। चूंकि लाइसेंसधारक ने वर्ष 2012-13, 2013-14 व 2014-15 के लिये राजस्व हिस्सेदारी का भुगतान ₹ 5.10 करोड़ कम किया था, 31 मार्च 2016 तक विलम्बित भुगतान पर उगाही योग्य ब्याज का हिस्सा ₹ 1.68 करोड़ था **(अनुलग्नक-6.01)**।

6.3 लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर दू वि/आर जे आई एल की प्रतिक्रिया

फरवरी 2017 के दौरान मैसर्स आर जे आई एल द्वारा भुगतान योग्य राजस्व हिस्सेदारी पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां दू वि और आर जे आई एल को आगे की टिप्पणियों के लिए सूचित की गई थी। आर जे आई एल ने एक बार फिर (मार्च 2017) परिसर लेखापरीक्षा के दौरान जारी किए गए लेखापरीक्षा टिप्पणियों के उत्तर में की गई अधिकतर प्रस्तुतियों को दोहराया था। दू वि के उत्तर की प्रतीक्षा है।

नई दिल्ली
दिनांक : 14 जुलाई 2017

(पी के तिवारी)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
(डाक व दूरसंचार)

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक : 17 जुलाई 2017

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक